

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - गौरीगढ़ (राज.)


गणेशीन अधिकाारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - कपासन

# 936

ग्रामीण सेवा शिबिर - 2025

पत्रा अन्तर्गत - 136

प्रसं 522/125 टापर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.सं.	नाम-प्राप्त	रजान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>होमर</u>	126	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाहिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिषद से स्टेट बैंक ऑफ़ दीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ दीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। गुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसीलदार कपासन की अनुशंसा रद्दकार की जाकर राज. भू.श. अधि. 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>होमर</u> वर <u>कपासन</u> खातासं <u>126</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ दीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर/प्रिदावरी	हस्ताक्षर/निरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	

पतिनिधि पालनाथ - पटवारी

पटवारी पटवारी, को नोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरासद करे

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन